46/2022

2022/126

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) शाहपुरा जिला–जयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प .....

"न्याय आपके द्वार–2016"

115/10-6-22

आदेश

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चचली व भू.अ.नि. .....

..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...../नायब तहसीलदार

..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चचली तहसील ..... व जिला .....

की जमाबन्दी सम्वत् 2022-23 में खाता संख्या 61 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है। :–

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	चचली	61	गोकुलाल पुत्र चतरा खिलगारी पत्नि चतरा	गोकुलाल पुत्र चतरा उर्फ चतरा खिलगारी पत्नि चतरा उर्फ चतरा मोहल्ला मधावत

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)

क्रमांक :– 116-117

दिनांक :– 10/6/2022

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार शाहपुरा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री ..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। गोकुलाल चचली

10/6/22

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
शाहपुरा (जयपुर)